सार-समाचार

आदिनाथ मंदिर का निर्माण कार्य जारी

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर के बाजार नंबर 3 में मार्बल से निर्मित भव्य आदिनाथ मंदिर इन दिनों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मात्र 7 महीने और 7 दिन में बनकर तैयार हुए इस अनूठे मंदिर की प्रतिष्ठा बीते 15 अप्रैल को खरतरगच्छाधिपति आचार्य जिन मणिप्रभ सूरीश्वर महाराज और गणिवर्य मयंकप्रभ सागर के साथ मुनि विरक्तप्रभ सागर के सानिध्य में संपन्न हुई थी। इसके बाद मंदिर दर्शन के लिए खोला गया था। श्रीआदिनाथ जैन श्वेताम्बर श्रीसंघ के अध्यक्ष राजकुमार पारख ने बताया कि निर्माण के बाद मंदिर परिसर को भव्य बनाने के लिए आगे भी विशेष कार्य करवाए जा रहे है। जिसके तहत मंदिर की मुख्य दीवार को मार्बल से बनाया गया। जिसमें विशेष कार्विंग का कार्य करवाया गया। मकराना मार्बल से की गई बारीक कार्विंग (नक्काशी) और रूप कार्य से सुसज्जित दीवारें इतनी आकर्षक हैं कि वे प्रथम दृष्टि में ही हर किसी का मन मोह लेती हैं। इस मंदिर की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसके मूल गंभारे (गर्भगृह) में विराजमान भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के दर्शन आम नागरिकों को मुख्य सड़क से निकलते हुए ही आसानी से हो जाते हैं। मंदिर को और अधिक भव्य व आकर्षक रूप देने के लिए प्रतिष्ठा के बाद भी परिसर में निर्माण व सौंदर्यकरण के कार्य अनवरत जारी हैं। जिसके तहत मंदिर में 2.35 लाख रुपए की लागत से एक स्टील का मुख्य गेट (प्रवेश द्वार) लगाया गया है। वर्तमान में पूरे मंदिर परिसर को अंदर और बाहर से रंग-रोगन (पेंट) कर चमकाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मंदिर के प्रवचन हॉल में भी उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट और आधुनिक फ्लोरिंग लगाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है।

कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

छबड़ा (निसं)। राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय आव्हान पर गुरूवार को कर्मचारियो एवं पदाधिकारियों ने सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक उपवास रखकर सरकार का ध्यान आकर्षण किया व मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्रीय मांग पत्र सहायक अभियंता को सौंपा। उपखंड अध्यक्ष अब्दुल हमीद व उपखण्ड महामंत्री कुलदीप सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के ध्यानाकर्षण को लेकर राजस्थान पीएचईडी तकनिकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष संतोष विजय के आह्वान पर गुरूवार को प्रदेशभर मे संगठन के द्वारा उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम छबड़ा मे उपवास कार्यक्रम का आयोजन खण्ड महामंत्री विनोद कुमार सोनी, वृत वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामावतार शर्मा, सलीमुद्दीन खान की अध्यक्षता में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां शांतिपूर्वक तरीके से कर्मचारी एकत्रित हुए जिसमें कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसके बाद कर्मचारियों को द्वारा सहायक अभियंता करिश्मा जंगम को मुख्यमंत्री के नाम एक 13 सूत्रीय मांग सोपा गया।कार्यक्रम में रामदयाल मालव, रमेश शर्मा, आदिल यूसुफ, नरेश कुमार सेन, आकिल खान, रामप्रसाद शर्मा, जवाहर लाल, भवानीशंकर पांचाल, राधाकिशन जाटव, मूलचंद कुशवाह, भवानीशंकर कुशवाह, भंवरलाल कुशवाह आदि मौजूद थें।

भाजपा कोटा शहर की बैठक आयोजित

कोटा, (निसं)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दिशा निर्देश पर प्रत्येक माह होने वाली जिला स्तरीय बैठक के क्रम में भारतीय जनता पार्टी कोटा शहर की जून माह की मासिक बैठक जी.एम.ए.सभागार में सम्पन्न हुई। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा व लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुये कहा कि भाजपा की सरकार अन्त्योदय के सिद्धांत अर्थात अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचे इसको लिये कार्य कर रही है। पीएम मोदी तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का चहुंमुखी विकास हो रहा है। प्रबुद्धजन सम्मेलन के प्रदेश टीम से रघुनाथ अग्रवाल ने बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि भाजपा सरकार के 12 साल विश्वास के, विकास के व जनकल्याण के है। कोटा शहर में होने वाले प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का कोटा प्रवास होने जा रहा है, सभी पदाधिकारियों के सामूहिक प्रयास से कार्यक्रम निश्चित रूप से भव्य होगा। कोटा जिला प्रभारी अजीत मेहता व जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने बैठक में बूथ स्तरीय संगठनात्मक संरचनाओं को लेकर जिला पदाधिकारी से लेकर मण्डल अध्यक्ष, प्रतिनिधियों से चर्चा कर शेष रहे कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के दिशा निर्देश देते हुये, प्रबुद्धजन सम्मेलन को भव्यतम बनाने का आह्वान किया।

जनसुनवाई आयोजित

भवानीमंडी, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं के प्रभावी निस्तारण हेतु संचालित त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को उपखंड भवानीमंडी में पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई की अध्यक्षता जिले के प्रभारी सचिव व संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग अनिल कुमार अग्रवाल ने की। जनसुनवाई के दौरान प्रभारी सचिव ने आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं को गंभीरता से सुना तथा विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को राहत प्रदान करना है, इसलिए प्रत्येक परिवेदना का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के उपरांत प्रभारी सचिव ने उपखंड क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएचसी पचपहाड़, पीएचसी घटौद, अटल सेवा केन्द्र सूलिया में संचालित डाकघर, पटवार घर, पशु चिकित्सालय तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र सूलिया का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने, अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण करने तथा नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए।

राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित

छबड़ा (निसं)। राशन सामग्री वितरण में गंभीर अनियमितता बरतने व प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन करने पर जिला रसद अधिकारी ने कडैयानोहर राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जिला रसद अधिकारी विश्वजीतसिंह ने बताया कि कडैयानोहर उचित मूल्य दुकानदार उर्मिला बाई के विरुद्ध शिकायत प्रकरण की गई जांच के दौरान उक्त राशन डीलर दोषी पाए जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीलर को जारी प्राधिकार पत्र तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। वही, मूण्डक्या के उचित मूल्य दुकानदार जगदीश शर्मा को राषन वितरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्थार्थ नियुक्त कर दिया है। यह था मामला:- कडैयानोहर के ग्रामीणों द्वारा राषन डीलर पर राशन वितरण में बरती जा रही अनियमितताओ की मिली षिकायतों पर प्रवर्तन अधिकारी झांकल मौके पर पहुंचे तो यहां राशन वितरण कर रहा युवक भाग छूटा। उन्होंने यहां देखा कि गेहूं का बड़ी मात्रा में ढेर लगा हुआ था, जो नियम विरुद्ध था। उन्होंने ढेर लगे गेहूं की जांच की तो उसमें बजरी (रेत) का मिलना पाया था। इस पर उन्होंने यहां ग्रामीणों से संवाद कर आवश्यक जांच कार्यवाही की थी।

शहरी सेवा शिविर का आयोजन आज से

छबड़ा (निसं)। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार नगर पालिका द्वारा शहरी सेवा शिविर-2026 का आयोजन नगर पालिका सभागार में 12 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि, आवास, पट्टा, नामांतरण, भवन स्वीकृति, उप-विभाजन, भू-उपयोग परिवर्तन एवं अन्य लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए नागरिकों को अधिकतम राहत प्रदान करना है। अधिशासी अधिकारी संदीप गहलोत ने बताया कि शिविर के दौरान राज्य सरकार द्वारा आमजन के हित में अनेक महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की गई हैं, जिनका लाभ पात्र नागरिक निर्धारित अवधि में आवेदन कर प्राप्त कर सकेंगे।शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। नागरिकों की सुविधा के लिए नगर पालिका कार्यालय में आवश्यक सहायता उपलब्ध रहेगी तथा आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।नगर पालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इन महत्वपूर्ण रियायतों का अधिकतम लाभ उठाएं तथा अपने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करवाएं।

सभी फीडरों पर बिजली रहेगी बंद

छबड़ा (निसं)। 33/11 केवी छबडा जीएसएस पर मरम्मत कार्य होने के कारण 2 घण्टे समस्त फीडरों की विधुत सप्लाई बंद रहेगी। सहायक अभियंता जर्येद्रसिंह झाला ने बताया कि 33/11 छबडा जीएसएस पर मरम्मत कार्य के चलते शुक्रवार को शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक छबडा जीएसएस से संचालित समस्त शहरी ओर ग्रामीण फीडरों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

वैकल्पिक उर्वरकों के लाभों से किसानों को जागरूक करें, ग्राम स्तर पर विशेष गोष्ठियां हों : कलेक्टर

कोटा, (निसं)। खरीफ मौसम-2026 की तैयारियों, उर्वरकों एवं बीजों की उपलब्धता, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं तथा आत्मा परियोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु बुधवार को जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों तथा किसानों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि अतीश शर्मा ने जिले में खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों एवं बीजों की उपलब्धता की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।

जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने निर्देश दिए कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के साथ वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने यूरिया का एक बैग एंव सिंगल सुपर फास्फेट के तीन बैग मिलाकर डीएपी बन जाता है जिसमे अतिरिक्त पोषक तत्व कैल्सियम एंव सुल्फेर सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक एंव लोहा भी प्राप्त होता है जिससे उत्पादन मे वर्दी एंव लागत मे कमी आती है जिले मे पर्याप्त मात्रा मे वैकल्पिक उर्वरकों की उपलब्ध है एक एनपीके ग्रेड, नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष कृषक गोष्ठियों, चौपालों एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन उर्वरकों के लाभों की जानकारी अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाई जाए ताकि उत्पादन लागत कम होने के साथ भूमि की उर्वरता भी बनी रहे।

उर्वरकों के वितरण की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों को उनकी आवश्यकता एवं जमाबंदी के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं तथा वितरण संबंधी समस्त जानकारी का व्यवस्थित रिकॉर्ड संधारित किया जाए। प्रत्येक विक्रेता वितरण रजिस्टर में किसान का नाम, पता, मोबाईल नंबर, जमाबंदी का विवरण, उपलब्ध कराई गई उर्वरक की मात्रा एवं अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खाद विक्रेता कृषक की जमाबंदी देखकर खाद देना सुनिश्चित करे ताकि वास्तविक किसानों तक

> ■ **जमाबंदी देखकर करें उर्वरक वितरण, बिक्री का व्यवस्थित रजिस्टर रखें विक्रेता : कलेक्टर**

उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने कहा कि उर्वरकों का वितरण पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्तर पर उर्वरकों का अनावश्यक भंडारण नहीं हो। यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने अथवा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने जैसी स्थिति सामने आती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए बताया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के साथ-साथ अन्य पात्र कृषकों का बीमा कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कराया जा रहा है। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि अधिकाधिक किसानों को योजना से जोड़ा जाएं ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

बीज उपलब्धता एवं गुणवत्ता की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मानसून की अनिश्चित परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को वैकल्पिक खरीफ फसलों के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। यदि जब तक वर्षा 75 मिलीमीटर से अधिक नहीं होती है तब तक किसान फसलों की बुवाई नहीं करे कम वर्षा मे किसान सोयाबीन के स्थान पर अन्य उपयुक्त खरीफ फसलों का चयन कर सकते हैं। साथ ही किसानों को स्वयं के पास उपलब्ध गुणवत्तायुक्त बीज की ग्रेडिंग एवं उपचार कर उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा हैं।

बैठक में यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की मांग एवं उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले मे 14472 मैट्रिक टन यूरिया, 2804 डीएपी टन एवं 3139 एनपीके उपलब्ध है। आगामी समय मे तीन चार रेक यूरिया एंव डीएपी की लगेगी

प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य एवं हरियालो राजस्थान पर चर्चा:- बैठक में फसल कटाई प्रयोगों की प्रगति, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्राकृतिक खेती, हरियालो राजस्थान अभियान तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि मृदा नमूना संग्रहण एवं परीक्षण कार्य निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ण किया जाए।

मिनी किट वितरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जाए। यह भी बताया गया कि मिनी किट केवल महिला किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी तथा संपूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से संपादित होगी। आत्मा परियोजना की समीक्षा के दौरान गत बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की जानकारी प्रस्तुत की गई। बताया गया कि वंदे गंगाजल संरक्षण अभियान के अंतर्गत कृषक गोष्ठियों का आयोजन किया गया है तथा जल संरक्षण, खेत बचाओं एवं कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

कोटा थर्मल और छबड़ा थर्मल में चिकित्सा शिविर आयोजित

जयपुर/छबड़ा, (निसं)। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कोटा थर्मल, छबड़ा थर्मल एवं छबड़ा सुपरक्रिटिकल विद्युत गृह में कार्यरत कर्मचारियों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 जून को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक देवेन्द्र श्रृंगी के निर्देशानुसार सभी विद्युतगृहों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। छबडा में निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन आरजीएचएस संबद्ध एम्बियंस केरला आयुर्वेदिक अस्पताल, कोटा एवं जयपुर की चिकित्सा टीम के सहयोग से थर्मल डिस्पेन्सरी में किया गया। शिविर में छबड़ा थर्मल के करीब 200 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वास्थ्य जांच करवाई तथा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार औषधि वितरण, संतुलित आहार तथा स्वस्थ जीवनशैली संबंधी मार्गदर्शन भी दिया गया। कुछ कर्मचारियों को लम्बे समय चल रहे घुटने, कमर एवं सर्वाईकल सम्बन्धी दर्द एवं समस्या पर केरला आयुर्वेदिक पद्धतिसे थेरेपी की गई।

नाम परिवर्तन

मैं गुलाम रसूल, निवासी- आर-20, सुभाषविहार, अनन्तपुरा, कोटा मेरा नाम गुलाम रसूल (GULAM RASUL) है। जबकि मेरी पत्नी के पासपोर्ट में मेरा नाम GULAM RASOOL KHAN है। उक्त दोनो नाम मेरे है।

कलेक्टर ने आमजन की समस्याएं सुनी

बूंदी, (निसं)। त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बूंदी व हिंडोली पंचायत समिति में आयोजित उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी।

इस दौरान उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर परिवादियों को राहत देने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में उस समय एक परिवादी को बड़ी राहत मिली, जब जिला कलेक्टर ने सत्यापन के अभाव में रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन को मौके पर ही दोबारा शुरू करवा दिया।

बूंदी पंचायत समिति में जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने सड़कों की हालत पर संज्ञान लेते हुए गड्ढों को ग्रेवल के माध्यम से तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा अस्तोली से हट्टीपुरा तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क के किनारे पटरी बनवाने की मांग पर जिला कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी व राजस्व विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मौका मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में उतरे छबड़ा विधायक सिंघवी

छबड़ा (निसं)। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी भी अब स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में उतर आए है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को अत्यधिक बिजली बिल आने के मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया हैं।

विधायक सिंघवी ने बताया कि क्षेत्र में पुराने बिजली मीटरों के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा अत्यधिक बिजली बिल आने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। जिन परिवारों के बिजली बिल पूर्व में सामान्य आते थे, उन्हें अब पाँच हजार रुपये से लेकर बीस हजार रुपये तक के बिल प्राप्त हो रहे हैं।इससे आमजन में भारी असंतोष एवं चिंता का वातावरण बना हुआ है। छबडा-छीपाबड़ौद क्षेत्र के उपभोक्ता यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटरों की रीडिंग अथवा बिलिंग प्रक्रिया में कहीं न कहीं तकनीकी त्रुटि हो सकती है। कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके लिए इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना अत्यंत कठिन हो गया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए स्मार्ट मीटरों तथा उनसे संबंधित बिलिंग व्यवस्था की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए। साथ ही अत्यधिक राशि वाले बिलों की वसूली पर रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को न्याय मिल सके और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।

वही, पूर्व विधायक करणसिंह राठौड ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी और जिले भर में कांग्रेस कार्यकर्ता स्मार्ट मीटरों का विरोध कर रहे थे तथा आमजन को इसके संभावित दुष्परिणामों के प्रति आगाह कर रहे थे, तब विधायक सिंघवी पूरी तरह मौन साधे हुए थे। उस समय भाजपा सरकार द्वारा लोगों के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे, लेकिन तब जनता की चिंता में एक शब्द भी नहीं बोला गया।

उन्होंने कहा कि अब जब हजारों उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है और कई उपभोक्ताओं को 40 से 50 हजार रुपये तक के बिल प्राप्त हुए हैं, तब विधायक को जनता की परेशानी दिखाई देने लगी है। यह जनता की समस्याओं के प्रति वास्तविक चिंता नहीं बल्कि राजनीतिक दिखावा प्रतीत होता है। राठौड ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही स्मार्ट मीटर योजना में व्याप्त खामियों और उपभोक्ताओं पर पडने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ का विरोध करती रही है।

यदि भाजपा के जनप्रतिनिधि समय रहते जनता की आवाज उठाते तो आज आमजन को इस प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि स्मार्ट मीटरों से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाए।

ग्रामीण सेवा शिविर आज से

कोटा, (निसं)। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाने के लिए 12 जून, शुक्रवार से ग्रामीण सेवा शिविर-2026 का आयोजन किया जाएगा।

ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन 15 जुलाई तक सप्ताह के कार्य दिवसों में प्रातः 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक (अथवा कार्य समाप्ति तक) होगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक का कार्य उसी दिन पूर्ण करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। यदि सायं 6 बजे तक कुछ कार्य अपूर्ण या लंबित रहते हैं, तो विभागवार उनकी सूची संधारित की जाकर समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। 12 जून, शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर रामगंजमंडी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खैराबाद, दीगोद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भाण्डाहेड़ा, इटावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत विनायका, सांगोद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कमोलर तथा कनवास पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोरूकलां में आयोजित किए जाएंगे। अभियान की पारदर्शिता और दैनिक प्रगति पर नजर रखने के लिए ऑनलाईन पोर्टल तैयार किया गया है।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभि. आशा खण्डेलवाल पत्नि स्व. श्री महेश उम्र 62 वर्ष निवासी मकान नं. ए-245 वीर सावरकर नगर कोटा के छोटे पुत्र नितेश खण्डेलवाल उर्फ रवि मय परिवार निवासी 757 विवेकानन्द नगर कोटा में मेरी अभि. से विगत 13 वर्षो से अलग निवासरत होने के पश्चात् भी मेरी अभि. के साथ वृद्धावस्था एवं बिमारी अवस्था में अभद्र व्यवहार कर नाजायज रूप से शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक परेशान करते है तथा पुत्रवधु के बहकावे में आकर मेरी अभि. को तिरस्कृत कर हर समय धमकाने लगे है जिसके भय से मेरी अभि. काफी तनावपूर्ण जीवन यापन कर रही है इसी वजह से मेरी अभि. नितेश खण्डेलवाल उर्फ रवि एवं परिवार को मेरे निजि मकान व समस्त चल अचल सम्पत्तियों से बेदखल करती है व मेरी अभि. से भविष्य में कोई सरोकार नहीं रहेगा अतः हर खास आम को सूचित किया जाता है कि मेरी अभि. के छोटे पुत्र व परिवार को मेरी अभि. ने समस्त चल अचल सम्पत्तियो से बेदखल कर दिया है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मेरी अभि. की चल अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में नितेश खण्डेलवाल व परिवार से सम्व्यवहार करता है तो उससे होने वाले समस्त नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मेरी अभि. के प्रति किसी भी प्रकार का दायित्व एवं जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित हो।

स्थान-कोटा

दिनांक - 10.06.2026

भवदीय
ब्रजेश जोशी, एडवोकेट
नोटरी भारत सरकार
मो.9828254907

5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त

छबड़ा (निसं)। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत चोरी रोकने के लिए गुरुवार को उपखण्ड क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया गया। सहायक अभियंता जयेन्द्र सिंह झाला के नेतृत्व विद्युत चोरी निरोधक थाना बारां एवं कवाई थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 गांवों में दबिश देकर अवैध रूप से लगे 11 ट्रांसफार्मर जब्त किए। सहायक अभियंता झाला ने बताया कि क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि गाँव में अवैध ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत चोरी की जा रही है। इससे निगम को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा था और फीडर ओवरलोड होने से वैध उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज व अघोषित कटौती झेलनी पड़ रही थी। इसके तहत गांव सागोडा से 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बिलखेड़ा से 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, कंचनपुरा से 1 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सोनी से 2 सिंगल फेज एवं 1 थ्री फेज ट्रांसफार्मर, आनंदपुरा से 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मरो को लिफ्टर की सहायता से पोल से उतारकर जब्त किया गया। संबंधित आरोपियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज करवाए जा रहे हैं।

उर्वरक की कालाबाजारी एवं अवैध परिवहन पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा

छबड़ा (निसं)। कृषि सीजन के दौरान किसानों को समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व में आयोजित ब्लॉक स्तरीय बैठक में उपखण्ड अधिकारी सपना कुमारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उर्वरक कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा अन्य राज्यों में अवैध परिवहन एवं विक्रय को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देशों की पालना में मध्यप्रदेश सीमा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे उर्वरक को पकडा गया तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

उपखण्ड अधिकारी सपना कुमारी ने समस्त कृषि सेवा केंद्र संचालकों, उर्वरक विक्रेताओं एवं थोक व्यापारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं लाइसेंस शर्तों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। किसी भी व्यापारी द्वारा किसानों के

> ■ **दूसरे राज्यों में अवैध विक्रय करने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही : एसडीएम**

लिए आवंटित उर्वरक को छिपाकर रखना, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करना, अधिक दरों पर विक्रय करना अथवा दूसरे राज्यों में अवैध रूप से बेचान करना गंभीर अपराध माना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्तर पर राहत नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यापारी उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, परिवहन अथवा सीमा पार विक्रय करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

एसडीएम ने यह भी निर्देश दिए कि सभी कृषि सेवा केंद्र अपने प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध स्टॉक, दर सूची एवं विक्रय अभिलेख नियमित रूप से संधारित रखें तथा जांच के दौरान संबंधित दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों सहित संपूर्ण उपखण्ड क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है तथा राजस्व, कृषि एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दलों द्वारा निरंतर जांच एवं औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

कोटा में कर्मचारियों का महासंवाद कार्यक्रम का आयोजन

कोटा, (निसं)। राज्य कर्मचारियों के अधिकारों, आत्मसम्मान और लंबित मांगों को लेकर निकाली जा रही कर्मचारी जागृति यात्रा कोटा पहुँची। किशोरपुरा स्थित मुख्य वन संरक्षक परिसर (परियोजना भवन) में आयोजित स्वागत सभा में संभाग भर के कर्मचारियों ने भागीदारी निभाई।

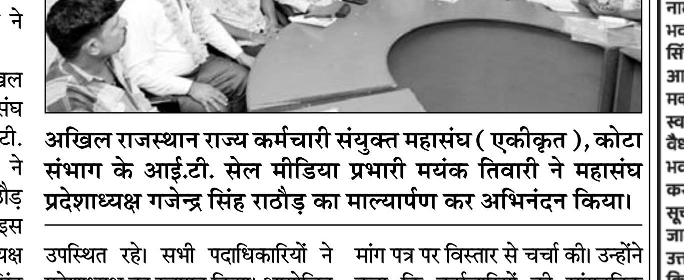

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत), कोटा संभाग के आई.टी. सेल मीडिया प्रभारी मयंक तिवारी ने महासंघ प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया।

यात्रा के कोटा आगमन पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत), कोटा संभाग के आई.टी. सेल मीडिया प्रभारी मयंक तिवारी ने महासंघ प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर महासंघ के संभागीय अध्यक्ष शम्भू सिंह हाड़ा, जिला अध्यक्ष भंवर सिंह हाड़ा, प्रदेश संगठन मंत्री योगेश शर्मा, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष खेमराज सोलंकी एवं वाहन चालक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया। आयोजित महासंवाद में प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, आरजीएचएस के निजीकरण के विरोध और मंत्रालयिक व तकनीकी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों सहित महासंघ के 25-सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सांगठनिक संप्रभुता और एकजुटता ही सरकार को हमारी न्यायसंगत मांगें मानने पर मजबूर करेगी। कार्यक्रम में संभाग के विभिन्न विभागों के नियमित व संविदा अधिकारी और बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी साथी उपस्थित रहे।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक -612 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-11.6.26

आवास संख्या 1-जी-32 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री किशन लाल पुत्र स्व. श्री बाल किशन को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री कुलदीप गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द गौतम के नाम दिनांक 25.03.2000 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री कुलदीप गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द गौतम द्वारा दिनांक 29.03.2000 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री कुलदीप गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द गौतम की मृत्यु दिनांक 15.02.2021 को हो चुकी हैं। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में इनकी माता श्रीमती शांति देवी गौतम पत्नी श्री रमेश चंद गौतम एवं इनकी पुत्री श्रीमती श्रद्धा गौतम द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र आलेखित कर दिनांक 13.04.2026 को श्रीमती रूकमणी गौतम पत्नी स्व. श्री कुलदीप गौतम के पक्ष में किया गया। श्रीमती रूकमणी गौतम पत्नी स्व. श्री कुलदीप गौतम द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-जी-32 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्रएवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्रीमती रूकमणी गौतम पत्नी स्व. श्री कुलदीप गौतम के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती रूकमणी गौतम पत्नी स्व. श्री कुलदीप गौतम के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती रूकमणी गौतम पत्नी स्व. श्री कुलदीप गौतम के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

पीठासीन अधिकारी अविनाश चौधरी
R.H.J.S. D.J. केडर
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश छबड़ा, जिला बारां राज.

उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र पत्रावली सं. 4/2025

सुदर्शन सिंह उम्र 57 वर्ष पुत्र दुल्हेसिंह जाति राजपूत निवासी मालोनी तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां राज. ......प्रार्थी

- बनाम -

1. सर्व साधारण 2. श्रीमान् भूमि आवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत्त बारां जिला बारां राज. ......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भा. उत्तराधिकार अधिनियम

वास्ते सर्व साधारण:-

जो कि मृतक श्री भवानी सिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी मालोनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज. की मृत्यु दिनांक 10.12.2015 को हो चुकी है। जिनकी पत्नी जनक कंवर का भी स्वर्गवास दिनांक 10.03.2025 को हो चुका है। मृतक श्री भवानी सिंह के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 117, खसरा नं. 237, खसरा नं. 181, खसरा नं. 182, कुल चार किता एवं दो आवासीय मकान नं. 39 कच्चा व 68 पक्का किमत बारह लाख रुपये वाके ग्राम मालोनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज. में अवस्थित है। स्वर्गीय श्री भवानीसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उनके सगे भान्जा प्रार्थी सुदर्शन सिंह के पक्ष में दिनांक 18.05.2002 को एक रजिस्टर्ड वसीयत नामा निष्पादीत कराया गया। स्वर्गीय श्री भवानी सिंह के उक्त दोनों मकान परवन वृहद सिंचाई परियोजना के क्षैत्र में होने से भूमि आवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त करने पर उक्त मकानों का मुआवजा राशि रु. 12,68,000/- स्वर्गीय श्री भवानी सिंह का एक मात्र वसीयती वैध वारिस उत्तराधिकारी है। प्रार्थी स्वर्गीय श्री भवानी सिंह का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः इस सूचना पत्र द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त स्वर्गीय श्री भवानी सिंह का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रार्थी के नाम जारी किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो दिनांक 01.08.2026 को समय 10 AM बजे न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पत्र पेश करें। अतः दिनांक 29.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय के आदेश से
रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
छबड़ा, जिला बारां (राज.)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/ दिनांक :

नाम हस्तांतरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-997 केशवपुरा-9 योजना का आवंटन के पत्र क्रमांक 675 दिनांक 28.10.1986 द्वारा श्री हुकुम चन्द जैन पुत्र श्री कल्याणमल को आंवटित किया गया था। श्री हुकुम चन्द जैन के द्वारा श्री हीरालाल पुत्र श्री केसरीलाल को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया। मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1998 को श्रीमती दुलारी बाई पत्नि श्री हीरा लाल को कर दिया गया। क्रेता श्रीमती दुलारी बाई पत्नि श्री हीरा लाल ने अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या 997 केशवपुरा-9 योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती दुलारी बाई पत्नि श्री हीरा लाल के नाम कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-499 विनोबा भावे नगर निर्धन को आंगन (रहेगा सो पायेगा) योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-621 दिनांक 24.04.2010 द्वारा श्रीमती संन्तोष दाधिच पत्नी श्री श्याम बिहारी दाधिच को आवंटन किया गया था। आवंटी श्रीमती संन्तोष दाधिच की मृत्यु दिनांक 25.11.2025 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात स्व. संन्तोष दाधिच के विधिक वारिसान पुत्र वसीयत धारक श्री रितेश दाधिच पुत्र स्व. श्याम बिहारी दाधिच के द्वारा दस्तावेजों में वसीयतनामा दिनांक 28.10.2016 मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत गवाह शपथ पत्र, आई.डी., शपथ पत्र, इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / आवास संख्या-499 विनोबा भावे नगर निर्धन को आंगन (रहेगा सो पायेगा) योजना का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री रितेश दाधिच पुत्र स्व. श्याम बिहारी दाधिच के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/496 **विज्ञप्ति** दिनांक : 12.5.2026

सर्व साधारण को जयें विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा योजना ''अक्षरधाम'' खसरा नं. 248 का भाग में स्थित भूखण्ड संख्या सी-14 के नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्री दिलीप गौतम पुत्र श्री बृज मोहन गौतम निवासी 44 शिव नगर, पुलिस लाईन, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड संख्या सी-14 का पट्टा क्रमांक 97 दिनांक 22.07.2016 को श्रीमती वंदना अग्रवाल पत्नि श्री गिरिराज बंसल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी वंदना अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमती लविशा तेजवानी पत्नि श्री गोपी चन्द तेजवानी को कर दिया गया जिसका नामहस्तान्तरण न्यास/प्राधिकरण द्वारा UIT-KOTA/FY18-19/MUT/393 दिनांक 25.05.2019 को जारी किया गया था। श्रीमती लविशा तेजवानी द्वारा उक्त भूखण्ड पर बैंक ऑफ बडौदा से ऋण लिया गया था, जिसका भुगतान नहीं करने के कारण उक्त भूखण्ड बैंक द्वारा कुर्क कर आवेदक श्री दिलीप गौतम पुत्र श्री बृज मोहन गौतम को बेचान किया गया है।

अतः श्री दिलीप गौतम पुत्र श्री बृज मोहन गौतम के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा